

3
2021

प्राची द्वारा जर्मना पर अर्जित धारा
 128 CR Act प्रत्युक्त कर निवेदन किया
 कि प्राची के सह स्वामे कहेजे की ग्राम अरुनीमापन
 के खाल संख्या 165 आ. नं. 70 किलो 1 कुल
 रकम 1.42 हे. जर्मना पर से अंकित पडाल
 से स्थित है, जिसके चारों ओर श्याची सीमा
 चिन्ह नहीं होने से विपक्षीय पडाली हथे
 रिक सीमा लगवन्ची विवाद करते हैं। रिनांक
 25/3/2021 को भी सीमा लगवन्ची विवाद
 किए जिससे प्राची उक्त स्वामे कहेजे की आशुजीयन
 के चारों ओर; पल्ला गरी का 10 एचआई सीमा
 चिन्ह लगवाना चाहता है। अतः जर्मना पर
 हीका कामया जाकर प्राची के स्वामे
 कहेजे की आ. नं. 70 रकम 1.42 हे. की
 पल्ला गरी काये जाने के आदेश प्रदान
 करावे। जर्मना पर 128 रजिस्टर किया जावे।

हमने जर्मना पर के एके जर्मना पर
 के साथ संलग्न नकल जमावरी की प्रति
 का अवलोकन कर प्राची के निवेदन पर
 चिन्तन मगन किया। जर्मना पर के संलग्न
 जमावरी की प्रति के अवलोकन से जाहिए
 है कि ग्राम अरुनीमापन पर 128 अरुनीमापन
 लक्ष्मी चिमडाट के खाल संख्या 165 से
 प्राची के नाम सहसति विमाजन आदेश से
 आ. नं. 2097/70 रकम 0.71 हे० (लगान 1.77 हे०)

(श्याम सुन्दर विश्वाडे)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेकार्ड है। प्राची अपने नाम से भूमि की
पत्थरगरी कराये जाने का इस्तेमाल है।
अतः ग्राम अरनिपापंग प. ह. अरनिपापंग
लिखित प्राची की खातेदारी आशजी संख्या
2097/70 रकबा 0.71 है। भूमि की बिना
किसी के कब्जे से दखलान्दाजी किए वेरामें
नम्ब्रे अनुसार पत्थरगरी किए जाने के
आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगरी शुल्क 1000/- वर्ष
अक्षरे एक हजार रुपए प्राची वहन करेगा।
पालनाथ तहसीलदार चिस्मेटाट को लिखा
जावे कि पक्षकारण को लिखित सूचना
देकर निपसा गुफा पत्थरगरी की जावे एवं
पालना रिपोर्ट न्यायालय से उल्टु करे।
निवेद्य लिखाया जाकर अरे इजलास हुआ
गया। पक्षकी कसूर शुमार होकर
नम्बर से काम हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)